बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-१ ला अंक-१८७ वा शुक्रवार ७ फ़रवरी २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

मंत्री धनंजय मुंडे को फैमिली कोर्ट का झटका

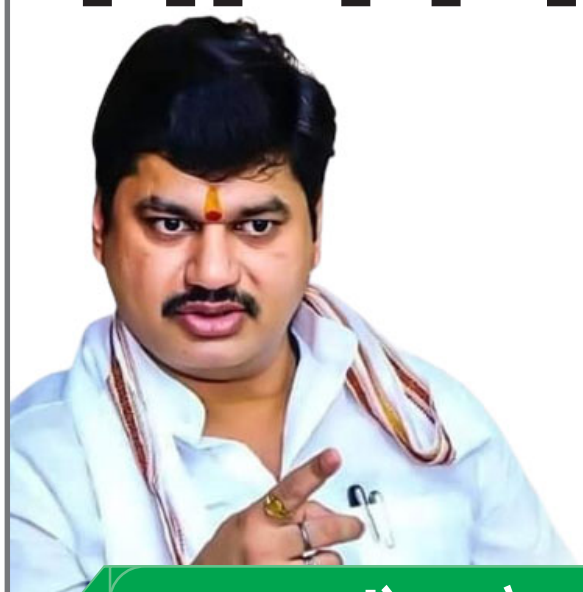

दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

करुणा मुंडे और बेटी को हर महीने २ लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश।

मां हि कर रही है हम पर अत्याचार, बेटे का बयान।

मुंबई: जमीर काजी

लगभग दो महीनों से विवादों में घिरे मंत्री धनंजय मुंडे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। संतोष देशमुख हत्याकांड में आरोपियों से नजदीकी और कृषि विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद अब फैमिली कोर्ट ने भी उन्हें पारिवारिक उत्पीड़न मामले में प्रथम दृष्टया दोषी माना है।

वांद्रे कोर्ट ने करुणा मुंडे-शर्मा और उनकी बेटी शिवानी के लिए हर महीने २ लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का अहम फैसला सुनाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.बी. जाधव ने बुधवार को यह आदेश जारी किया।

करुणा मुंडे का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें धनंजय मुंडे की पहली पत्नी के रूप में मान्यता दी है। हालांकि, धनंजय मुंडे के वकीलों का कहना है कि कोर्ट ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया है, बल्कि मुंडे द्वारा 'लिव-इन' में रहने की बात स्वीकार करने के कारण ही यह गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ है।

इस फैसले के बाद धनंजय मुंडे पर विरोधियों ने तीखी आलोचना शुरू कर दी है। राज्य सरकार से अब उनके तत्काल इस्तीफे की मांग उठ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार इस पर क्या निर्णय लेते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

१९९८ से २०१८ तक साथ रहीं करुणा मुंडे

करुणा शर्मा १९९८ से २०१८ तक धनंजय मुंडे के साथ रह रही थीं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। २०१८ के बाद उनके बीच पारिवारिक विवाद शुरू हुआ, जो सार्वजनिक हो गया। करुणा मुंडे ने दावा किया कि धनंजय मुंडे ने उनसे विवाह किया था और २०२२ में उन्होंने घरेलू हिंसा कानून के तहत वांद्रे कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बुधवार को न्यायाधीश जाधव ने अपने निर्णय में प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा की बात स्वीकार करते हुए करुणा मुंडे को हर महीने १.२५ लाख रुपये और उनकी बेटी शिवानी को ७५ हजार रुपये देने का आदेश दिया।

इस फैसले के बाद पहले से ही विवादों से घिरे धनंजय मुंडे को बड़ा झटका लगा है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है।

गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगी करुणा मुंडे

फैमिली कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए करुणा मुंडे ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें धनंजय मुंडे की पहली पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, जिससे वह खुश हैं। लेकिन उन्होंने हर महीने १५ लाख रुपये गुजारा भत्ता की मांग की थी, जबकि उन्हें और उनकी बेटी को केवल २ लाख रुपये ही मिले हैं। इसलिए वह इस रकम को बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कई तरह के दबावों का सामना करना पड़ा है और उनके बच्चों पर भी धनंजय मुंडे की ओर से दबाव डाला जा रहा है, जिससे वे उनके खिलाफ बोलने लगे हैं।

लिव-इन के कारण मिला गुजारा भत्ता: धनंजय मुंडे के वकील का दावा

धनंजय मुंडे के वकील एडवोकेट सायली सावंत ने सफाई दी कि फैमिली कोर्ट ने घरेलू हिंसा के आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। यह आदेश केवल अंतरिम गुजारा भत्ता देने के निर्देश के तहत आया है।

मेरे मुवक्किल धनंजय मुंडे को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, लेकिन घरेलू हिंसा के आरोपों को साबित नहीं माना गया है। उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया था कि वह लिव-इन रिलेशनशिप में थे, इसलिए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। यह फैसला हिंसा के आरोपों पर नहीं, बल्कि आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, वकील ने कहा।

मां ही कर रही उत्पीड़न: शिशिर मुंडे इस पारिवारिक विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब धनंजय मुंडे के बेटे शिशिर मुंडे ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखी।

२१ वर्षीय शिशिर ने लिखा, पिछले पांच साल से हमारे पिता धनंजय मुंडे मेरी बहन और मेरी पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमारी मां करुणा मुंडे ही हमें प्रताड़ित कर रही हैं।

उन्होंने आगे लिखा, अब बोलना जरूरी हो गया है, क्योंकि मीडिया ने हमारे परिवार को मनोरंजन का साधन बना दिया है। मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने कभी हमारा नुकसान नहीं किया। हमारी मां हमेशा किसी न किसी वजह से परेशान रहती थीं और हमें दर्द देकर इसका बदला लेती थीं। असली घरेलू हिंसा मेरे, मेरी बहन और मेरे पिता के साथ हुई।

जब मेरे पिता ने इस उत्पीड़न से तंग आकर उन्हें छोड़ दिया, तो उन्होंने हमें भी घर से निकाल दिया। २०२० से हमारे पिता ही हमारी पूरी देखभाल कर रहे हैं। मेरी मां को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर घर की ईएमआई नहीं चुकाई और हमारे पिता को बदनाम करने के लिए लगातार झूठ फैलाती रहती हैं।हालांकि, करुणा मुंडे ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे ने दबाव डालकर अपने बेटे से यह पोस्ट लिखवाई है।

पाटोदा तालुका के मेंगडेवाड़ी गांव में तेंदुए के हमले में वृद्ध महिला की मौत

पाटोदाः संवादाता

पाटोदा तालुका के मेंगडेवाड़ी गांव के उखारा इलाके में गुरुवार, ६ फरवरी दोपहर को तेंदुए के हमले में ६५ वर्षीय वृद्ध महिला श्रीमती सोजरबाई धोंडीराम बोबडे की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तेंदुए की दहशत फैल गई है।

इस घटना की जानकारी भगवान शिंदे ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन को फोन पर दी।

कैसे हुआ हादसा?

भगवान शिंदे के अनुसार, श्रीमती सोजरबाई धोंडीराम बोबडे दोपहर १२ बजे रोजाना की तरह अपने खेत में जानवरों के गोठे (बाड़े) में गई थीं। दोपहर ३ बजे, बिभीषण दासु शिंदे जब अपने खेत में जानवरों को लेने गए, तो उन्होंने सोजरबाई का शव देखा। शव पर गंभीर जख्म थे, जिससे साफ था कि तेंदुए ने गला दबाकर उन्हें मार डाला। घटना की सूचना पर प्रशासन अलर्ट बिभीषण शिंदे ने घटना की जानकारी सोजरबाई के पोते जगन्नाथ बबन बोबडे को फोन पर दी। इसके बाद गांव के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। भगवान शिंदे ने वन विभाग के अधिकारी श्री काले (मो. नं. ९०७५४९५७६१) और पुलिस निरीक्षक श्री जाधव (मो. नं. ७७२२०३५२०९) को फोन पर सूचना दी। वन विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं।

शेत रास्ते बंद करने वालों पर फौजदारी मुकदमे दर्ज करें-राजस्व मंत्री बावनकुळे के आदेश

मुंबई: राज्य में सभी शिव पाणंद और शेत रास्तों (कृषि पथ) की सीमा तय कर उनका निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ऐसी निर्देशिका प्रशासन को देते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने स्पष्ट आदेश दिया है कि शेत रास्ते बंद करने वालों पर राजस्व प्रशासन के माध्यम से फौजदारी मुकदमे दर्ज किए जाएं।

शिव पाणंद और शेत रास्तों के विकास को लेकर पब्लिक डोमेन के माध्यम से नागरिकों से सुझाव मांगे गए थे। इसी संदर्भ में गुरुवार को मंत्रालय में बावनकुळे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे और पंजीयन महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

राजस्व मंत्री के आदेश और निर्देश:

बैठक के दौरान मंत्री बावनकुळे ने कहा कि नागपुर जिले में मात्र ८ से १० लाख रुपये प्रति किलोमीटर की लागत से उत्कृष्ट पाणंद रास्ते बनाए गए हैं। इसी कार्यपद्धति का अध्ययन कर सभी जिलों में इसी प्रकार की कार्रवाई की जाए।

ग्रामस्तरीय शेत रास्ता समिति का गठन किया जाए और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए।

रास्तों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ हो, इसकी पूरी निगरानी रखी जाए।

शिव पाणंद और शेत रास्तों से जुड़े लंबित मामलों को एक महीने के भीतर सुलझाने का निर्देश दिया गया।

मंत्री बावनकुळे ने कहा कि शेत रास्तों, पाणंद रास्तों और सार्वजनिक उपयोग वाले रास्तों की माप-जोख एवं पुलिस सुरक्षा शुल्क समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन रास्तों के नंबरिंग का सर्वेक्षण कर, नंबरिंग हटाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व प्रशासन में नई नीतिः

रास्तों से जुड़े मामलों में तहसीलदार के निर्णय पर उपविभागीय अधिकारी के पास अपील की जा सकेगी, और वही अंतिम निर्णय देगा।

शेत रास्तों का उल्लेख किए बिना किसी भी भूमि के वितरण पत्र को स्वीकृति न दी जाए, इसके लिए सरकार सकारात्मक निर्णय ले रही है। इस निर्णय के बाद, राज्य में शेत रास्तों और पाणंद रास्तों को लेकर सख्ती बढ़ने की संभावना है।

पुलिसों के फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई रोकने की मांग, अक्षय शिंदे के माता-पिता ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की अपील

एनकाउंटर मामले को नया मोड़

मुंबई: जमीर काजी

बदलापुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस द्वारा एनकाउंटर के बहाने हत्या की गई थी, यह बात न्यायालयीन जांच में स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन गुरुवार को इस मामले ने नया मोड़ ले लिया जब अक्षय शिंदे के माता-पिता ने कोर्ट से केस वापस लेने की अपील की।

उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि अब इस मामले को लेकर अदालत के चक्कर नहीं लगाना चाहते और केस वापस लेना चाहते हैं। हम पर किसी का दबाव नहीं है, लेकिन अब इस मामले में और समय नहीं लगाना चाहते, ऐसा अक्षय के माता-पिता ने न्यायालय को बताया।

उनके इस रुख से कोर्ट भी हैरान रह गया और इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की गई है।

फर्जी एनकाउंटर का मामला:

पिछले साल सितंबर में बदलापुर में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार अक्षय शिंदे को पुलिस ने मुंब्रा में एनकाउंटर में मार गिराया था। बाद में न्यायालयीन जांच में यह एनकाउंटर फर्जी पाया गया और रिपोर्ट उच्च न्यायालय में सौंपी गई।

इस रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय ने ठाणे क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे, सहायक निरीक्षक निलेश मोरे, हवलदार अभिजीत मोरे, हरिश तावडे और एक पुलिस ड्राइवर पर हत्या का केस दर्ज करने के आदेश दिए।

लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों ने इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर दी। इस याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई।

इन-कैमरा सुनवाई में माता-पिता ने रखा पक्ष:

सुनवाई के दौरान अक्षय शिंदे के माता-पिता अण्णा शिंदे और अलका शिंदे ने अदालत से निजी तौर पर कुछ बातें रखने की अनुमति मांगी। इस पर खंडपीठ ने सभी को कोर्ट रूम से बाहर भेजकर 'इन-कैमरा' सुनवाई की।

इस दौरान उन्होंने कहा कि, हमारा बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। हमें समाज से बहुत मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अब हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, लेकिन हम अब इस मामले में और दौड़धूप नहीं करना चाहते, इसलिए केस बंद किया जाए।

इस पर कोर्ट ने सवाल किया, क्या आप पर किसी का दबाव है? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, हम पर किसी का दबाव नहीं है। इस मामले में शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट का सवाल - अभी तक पुलिस पर केस क्यों दर्ज नहीं किया गया?

फर्जी एनकाउंटर मामले में पुलिस पर अब तक केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।

विशेष सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की उखऊ द्वारा स्वतंत्र जांच और आयोग द्वारा समानांतर जांच चल रही है। इसलिए, अभी तत्काल कार्रवाई में कानूनी अड़चनें हैं। वहीं, अक्षय शिंदे के पिता के वकील अमित कटारनवरे ने कोर्ट में आशंका जताई कि

यदि आयोग की रिपोर्ट में पुलिस को राहत दी जाती है, तो उनके पास केस को रद्द कराने के लिए कानूनी विकल्प मौजूद रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि, शिंदे के माता-पिता का अचानक केस वापस लेने का फैसला समझ से बाहर है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

डॉ. करीम सालार जीवन गौरव स्मृति पुरस्कारसे सम्मानित

(ज़फर खान अतहर खान)

जलगांव, फरवरी: स्थानीय इकरा शिक्षण संस्था के अध्यक्ष डॉ. करीम सालार को जीवन गौरव स्मृति' सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें इकरा शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से खानदेश के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों तथा नगर पालिका में नगरसेवक से महापौर तक की उनकी समाजसेवा के लिए प्रदान किया गया।

यह सम्मान ग्राम गौरव मीडिया हाउस के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ज्ञान कर्मी सम्मान व विशेषांक मुखपृष्ठ प्रकाशन' समारोह में प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थित जिला नियोजन समिति सभागृह में संपन्न हुआ, जहां महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मा. श्री अरुण भाई गुजराथी ने डॉ. सालार को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया।

इस अवसर पर विधायक मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, कोकण कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु डॉ. शंकरराव मगर, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश उज्जैनवाल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

अपने अध्यक्षीय भाषण में अरुण भाई गुजराथी ने कहा कि इकरा जैसी शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। यह सब संस्थापकों की ईमानदारी, प्रखर राष्ट्रभक्ति, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ऐसे सेवा-भावी नेतृत्व के कार्य को न केवल वे, बल्कि पूरा देश सलाम करता है। डॉ. करीम सालार ने सत्कार के उत्तर में कहा कि प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार के शो के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम समाज के आर्थिक सहयोग ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने में मदद की। उन्होंने बताया कि १९८० में स्थापित इकरा संस्थान आज वटवृक्ष का रूप ले चुका है, जिसके अनेक छात्र देश-विदेश में अपनी शिक्षा व कौशल के बल पर रोजगार कर रहे हैं और समाजसेवा में योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि १९७० में जलगांव में हुए बड़े सांप्रदायिक दंगे के बाद, इकरा और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के प्रयासों से सामाजिक सौहार्द, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली। इस अवसर पर खानदेश क्षेत्र के अन्य संस्थाचालकों का भी सम्मान किया गया।

पात्रुड कस्बे के सरपंच लतीफ मोमिन की ओर से ११ जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया

गांव में पहली बार की गई आदर्श पहल

पात्रुड; (ख़तीब एजाज) तारीख़. ५ फरवरी २०२५ को पात्रुड नगरी के वर्तमान सरपंच लतीफ मोमिन ने एक अनूठी पहल लागू की और गांव के लिए एक मिसाल कायम की। सरपंच का पदभार संभालते ही उन्होंने ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए वादा किया कि वे उन पर जताया गया विश्वास बरकरार रखेंगे। मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूँगा. मैं गांव का सर्वांगीण विकास करूंगा। और उन्होंने वादा किया था कि वे सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से कम से कम दस गरीब लड़कियों की शादी कराएंगे और उन्हें दुनिया भर की उपयोगी चीजें देंगे और आज उन्होंने उस वादे को पूरा किया और सभी गांव वालों के लिए एक आदर्श बनाया। उन्होंने खुद घर-घर जाकर पंचक्रोशी में सभी को इस सामूहिक विवाह समारोह में आमंत्रित किया, न केवल गांव में बल्कि सभी को। और पात्रुड़ गांव और पंचक्रोशी के सभी ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह से स्वीकार किया। साथ ही, उन्होंने अपने खर्च पर शादी समारोह के लिए भोजन की व्यवस्था भी की। तालुका के पात्रुड गांव की आबादी २०,००० है और लोगों से सरपंच बने लतीफ मोमिन गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और गांव में विभिन्न स्थानों पर विकास कार्य चल रहे हैं। और सरपंच लतीफ मोमिन की तालुका में सर्वसम्मति से सराहना की जा रही है। इस सामूहिक विवाह समारोह में मौलाना मुस्तफा साहब मजाहेरी, माजलगांव पं स, उपसभापति डॉ. वसीम मनसबदार, पूर्व नगराध्यक्ष सहाल भैया चाऊस, लवुळ के सरपंच एल,के सरवदे, पात्रुड के पूर्व सरपंच कजीम मनसबदार, पूर्व सरपंच एकनाथ मस्के, सुशील दक, बबनराव सरवदे के साथ ही सभी मुस्लिम धर्मगुरु भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए।पात्रुड के उपसरपंच घनश्याम भूतड़ा, ग्राम पंचायत अधिकारी भागवत भुजबल, ग्रा.पंचायत कर्मचारी नाजेम अंसारी, शिवाजी गोमचाळे, मुजीब कुरैशी, संजय सीतकर, तोफिक मोमिन, लक्ष्मण अगरकर, माऊली वाखरे, रोजगार सेवक अतहर मोमिन, ग्राम.प, सदस्य बालू बनकर, सैयद आसिफ, हाफिज मुजाहिद, अरुण जंगले, माऊली नटकर, मुक्तार मोमिन, जुबैर मोमिन, अंसारी समियोदिन, पत्रकार खतीब एजाज, प्रकाश यादव, धैर्यशील ढगे और सभी ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत की।

बार्शी नाका इमामपुर रोड रेलवे ठहराव के लिए अधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन

ठहराव के लिए सांसद सोनवणे, विधायक क्षीरसागर समेत सभी दलों के नेता प्रयासरत-खुर्शीद आलम

बीड़ (प्रतिनिधि), ६ फरवरी २०१५:

बीड़ रेलवे स्टेशन पर बुधवार को हाई-स्पीड रेलवे का परीक्षण किया गया। इस मौके पर बार्शी नाका इमामपुर रोड रेलवे ठहराव कार्रवाई समिति की ओर से रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बार्शी नाका इमामपुर रोड पर रेलवे ठहराव की जरूरत और उसकी स्वीकृति की मांग की गई।

इस मौके पर समिति के कार्याध्यक्ष खुर्शीद आलम ने कहा कि रेलवे ठहराव की स्वीकृति के लिए एक व्यापक आंदोलन शुरू किया गया है। जब तक बार्शी नाका इमामपुर रोड पर रेलवे ठहराव को मंजूरी नहीं मिलती, तब तक यह आंदोलन और तेज किया जाएगा।

बीड़ शहर के पालवन रोड स्थित रेलवे स्टेशन पर हाई-स्पीड ट्रेन के परीक्षण के लिए केंद्रीय रेलवे बोर्ड के अधिकारी आए थे। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष गंमत भाऊ भंडारी साहेब के मार्गदर्शन में, सांसद सोनवणे साहेब, विधायक संदीप भैय्या क्षीरसागर, पूर्व विधायक उषा ताई दराडे, पूर्व विधायक सलीम भाई, पूर्व विधायक सिराजुद्दीन देशमुख साहेब, सुशीला ताई मोराले, राजेंद्रजी मस्के, सी.ए. जाधव साहेब, ज्योति ताई मेटे, सुभाषजी सारडा के साथ-साथ मोइन मास्टर साहेब, निजाम भाई, राजू जोगदंड, शफीक भाऊ, फारूक पटेल, सुहास पाटिल, शेख जाकिर, हाशम बागवान, नसीम इनामदार, खालिद शिफा आदि के सहयोग से कार्याध्यक्ष खुर्शीद आलम के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने रेलवे अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

बार्शी नाका इमामपुर रोड ही सबसे उपयुक्त स्थान

शिष्टमंडल ने रेलवे अधिकारियों को बताया कि पहले बार्शी नाका इमामपुर रोड पर ही रेलवे स्टेशन प्रस्तावित था, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर इसे पालवन रोड की ओर स्थानांतरित करवा दिया।

हालांकि, बार्शी नाका इमामपुर रोड पर रेलवे ठहराव सभी नागरिकों के लिए सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि यह स्थान:

चार राष्ट्रीय राजमार्गों के पास है।

कृषि उत्पन्न बाजार समिति, एमआईडीसी, जिला अस्पताल, जिला कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय, ग्रामीण एवं सिटी पुलिस स्टेशन, टेक्निकल कॉलेज, लॉ कॉलेज सहित ९५% स्कूल-कॉलेज पास ही स्थित हैं।

शासकीय दुग्ध डेयरी, सभी धार्मिक स्थल, साप्ताहिक बाजारों एवं बीड़ शहर सहित आसपास के तालुकों के नागरिकों के लिए भी यह स्थान सुविधाजनक रहेगा।

भारी जनसमर्थन के साथ ज्ञापन सौंपा गया

इस मौके पर संजय उड़ान, शिंगण साहेब, अमर ढोणे, सुनील सुरवसे, वजीर अत्तार, शेख अमर, रफीक बागवान, महेश शिंगण, बबनराव गोरे, मोहसिन भाई, बालाजी चौगुले, रवी मस्के, जाधव साहेब, सोनू पटेल, अमोल अहिरे, सोफियान शेख, ढोले साहेब, गणेश गरुड़, सचिन कांबले सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

आंदोलन होगा और तेज कार्याध्यक्ष खुर्शीद आलम ने कहा कि जब तक **बार्शी नाका इमामपुर रोड पर रेलवे ठहराव को मंजूरी नहीं मिलती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा और

डॉक्टर बलवंतराव वराळे मेमोरियल फाउंडेशनने मिर्झा अब्दुल कय्यूम नदवी यांना शिक्षण आणि साहित्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल हम भारत के पुरस्काराने सन्मानित केले

औरंगाबाद ०६/फेब्रुवारी

सामाजिक शिक्षण आणि साहित्य क्षेत्रात काम करणारे आणि समाजात बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना डॉक्टर बलवंतराव वराळे मेमोरियल फाउंडेशनने रविवारी दुपारी ३ वाजता डॉक्टर नादपुरकर हॉलमध्ये सन्मानित केले.

रीड अँड लीड फाउंडेशन, औरंगाबादचे अध्यक्ष मिर्झा अब्दुल कय्यूम नदवी, जे रस्त्यावर, झोपडपट्टीत आणि वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या मजुरांच्या

देशाची एकात्मता, एकता आणि बंधुता तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपल्यात 'हम हिंदुस्तान के लोग' असल्याची भावना असेल. मिर्झा नडवी

मुलांसाठी मोहल्ला बाल पुस्तकालय अभियान चालवतात, सामाजिक कार्यकर्त्या आशा सिरसाठ आणि विद्यासागर डोरनाळेकर यांनी शिक्षण आणि साहित्य क्षेत्रात योगदान दिले आहे. त्यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

हा पुरस्कार एका विशेष सन्मान सोहळ्याद्वारे देण्यात येतो. प्रमुख पाहुणे डॉक्टर राजेंद्र गोणकर होते आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी मालती वराळे यांनी भूषवले. तिन्ही पुरस्कार विजेत्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना फाउंडेशनचे आभार मानले आणि भविष्यात आणखी काम करण्याची ग्वाही दिली.कार्यक्रमाचे संचालन सचिव सुधा वराळे आणि मनीषा घाटगे यांनी केले. वर्षा घोबळे यांनी बलवंतराव वराळे यांच्या कार्याची माहिती दिली. कार्यक्रमाची प्रस्तावना ऍडव्होकेट इंदुमती वराळे यांनी केली. चेतन चोप्रा, कुणाल वराळे आणि अजय देहे यांनी परिक्षीत वराळे, धम्मा वाहुल, बुद्धभूषण मोरे, अभिषेक सोराडकर आणि पृथ्वी मागरे यांच्यासह कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले. सुनीता घाटगे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

मधुकर खाडे का निधन

केज (प्रतिनिधि), ६ फरवरी:

तालुका के होळ गांव के पहलवान मधुकर दत्तुबा खाडे का गुरुवार (६ फरवरी) को पुणे के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। निधन के समय वे ६४ वर्ष के थे।

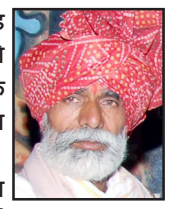

मधुकर खाडे होळ स्थित शिवछत्रपति क्रीड़ा एवं व्यायामशाला और संत भगवानबाबा वारकरी शिक्षण संस्था के सचिव थे।

घटना के समय वे व्यायामशाला परिसर में एक पेड़ की शाखाएं काट रहे थे, जो विद्युत पोल के पास थी।

पेड़ पर चढ़कर कार्य करते समय उनका हाथ विद्युत तार से स्पर्श हो गया, जिससे उन्हें करंट लग गया और वे नीचे गिर पड़े। इस दुर्घटना में उनकी पीठ और पेट पर गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान पुणे में उनका निधन हो गया।

उनके परिवार में तीन पुत्र – गोविंद (पुलिस विभाग में कार्यरत), व्यंकटी और व्यवसायी बालाजी, दो भाई, पिता, बहुएं और नाती-पोते शामिल हैं।

उनका अंतिम संस्कार होळ गांव में शिवछत्रपति क्रीड़ा एवं व्यायामशाला के सामने किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान वारकरी संप्रदाय, कुश्ती, राजनीति और समाजसेवा से जुड़े कई लोग उपस्थित रहे।

आज परली शहर में शेख अशफाक एंड फ्रेंड्स ग्रुप यानी नय्यर ग्रुप की जानीब से सभी आवाम की खिदमत में एक एंबुलेंस अरेंज की गई परली शहर के सभी मरीजों और जरूरतमंदों के यह काम आए इसी मकसद को लेकर नय्यर ग्रुप ने यह काम किया इस वक्त परली शहर के सभी जिम्मेदार और नय्यर ग्रुप के सभी मेंबर्स मौजूद थे।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com